



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19841

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 478 वर्ष 2026

श्रीमती सुशीला और 2 अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: फूल चंद्र सिंह, आर.यू., रिकी रेनू

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिकी रेनू और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2-अपर आयुक्त, प्रथम, मंडल चित्रकूट धाम, जिला बांदा द्वारा दिनांक 13.07.2025 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि पर याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने और उसे न बेचने से रोकने की प्रार्थना की गई है। उपरोक्त आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ने मामले को प्रतिवादी संख्या 3-उप-विभागीय अधिकारी, तहसील नारायणी, जिला बांदा के समक्ष वापस भेज दिया था और प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 13.11.2025 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार मामले का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया गया था।
3. प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. कुछ बहस के बाद, न्यायालय में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया और उन्हें एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया। उन्होंने इस अनुरोध को विधिवत स्वीकार कर लिया।
5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 13.11.2025 के आदेश में वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित सभी पक्षों को अंतिम संरक्षण प्रदान किया जा चुका है।
6. इस मामले को देखते हुए और न्याय के हित में भी, दिनांक 13.11.2025 के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले का आज से तीन महीने की अवधि के भीतर, अत्यंत शीघ्र और सकारात्मक रूप से नए सिरे से निर्णय करे।
7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या 3-उप मंडल अधिकारी, तहसील नारायणी, जिला बांदा को जिला मजिस्ट्रेट, बांदा के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर भेज दें।

(न्याय मूर्ति प्रकाश पाडिया)

29 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"